R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 4
अक्तूबर 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशा-निर्देश

रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी संहित) द्वारा अपनायी जानेवाली उचित व्यवहार संहिता के संबंध में मोटे तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया है कि वे इन दिशा निर्देशों के आधार पर उचित व्यवहार संहिता तैयार करें और उसे अपने निदेशक मंडल से अनुमोदित कराएं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की यदि कोई वेबसाइट है तो वे आम जनता की सूचना के लिए अपनी वेबसाइट पर भी इस उचित व्यवहार संहिता को प्रकाशित करके उसका प्रचार-प्रसार करें। ये स्थूल दिशा-निर्देश नीचे दर्शाए गए हैं :

ऋण आवेदन पत्र

- ऋण आवेदन पत्र में वह आवश्यक सूचना होनी चाहिए जिससे उधारकर्ता का हित प्रभावित होता हो ताकि उधारकर्ता अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रस्तावित निबंधन और शर्तों की कंपनी द्वारा प्रस्तावित शर्तों से अर्थपूर्ण तुलना कर सके और पूरी जानकारी से अवगत होकर निर्णय ले सके। ऋण आवेदन फार्म में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों का उल्लेख होना चाहिए।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति रसीद (पावती) दी जा सके। उक्त पावती में वरीयत: उस समयाविधि का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके अंतर्गत ऋण आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण लेने वाले को मंजूरी पत्र के माध्यम से या अन्य प्रकार से मंजूर किए गए ऋण की राशि लिखित रूप में उसकी शर्तों के साथ जिसमें वार्षिक आधार पर ब्याज की दर तथा उसे लागू करने का तरीका भी दिया हो, सूचित करनी चाहिए। उधारकर्ता द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति अपने अभिलेख में रखी जानी चाहिए।

ऋण संवितरण

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण संवितरण कार्यक्रम, ब्याज दरों, सेवा प्रभारों, अवधिपूर्व भुगतान प्रभारों, आदि सहित निबंधन और शर्तों में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन की नोटिस उधारकर्ता को देनी चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यह भी सुनिश्चित करें कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल आगे आने वाली तारीख से ही लागू हों। इस संबंध में ऋण करार में समुचित शर्त शामिल की जाए।
- ऋण वापस लेने/करार के अधीन भुगतान या निष्पादन में तेजी लाने का निर्णय ऋण करार की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सभी देय राशियों की चुकौती होने पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली हो जाने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के उधारकर्ता के विरुद्ध किसी अन्य दावे के न्यायसंगत अधिकार या ग्रहणाधिकार को छोड़कर जमानत स्वरूप रखी गई सभी प्रतिभूतियां/दस्तावेज वापस दे देने चाहिए। यदि ऐसे समायोजन के किसी अधिकार का इस्तेमाल किया जाना है तो उसके लिए शेष दावों के बारे में पूरे विवरण के साथ उधार लेने वालों को नोटिस देना होगा और वे शर्तें बतलानी होंगी जिनके अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा संबद्ध दावा न सुलझाए जाने/भुगतान न करने तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उन दस्तावेजों को रोके रहने का अधिकार है।

सामान्य

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उन प्रयोजनों को छोड़ कर जिनका ऋण करार की शर्तों में उल्लेख है, उधारकर्त्ता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं

विषय सूची पृष्ठ

नीति
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशा-निर्देश 1
प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करनेवाली बैंकों के लिए परिचालनीय दिशा-निर्देश 2
अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम 3
शहरी सहकारी बैंक
व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ायी गयी 3
ग्राहक सेवा
बचत खाताधरकों को पासबुक 3
सूचना
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन 4

करना चाहिए (जब तक कि ऐसी कोई नई सूचना उधारदाता की जानकारी में न आई हो जो उधारकर्ता द्वारा उसे पहले न बताई गई हो)।

- उधारकर्ता से उधारखाते को अंतरित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर उसकी सहमति या असहमति जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की आपत्ति, यदि कोई हो, तो ऐसे अनुरोध प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर उधारकर्ता को सूचित की जानी चाहिए। ऐसा अंतरण कानून के अनुरूप और पारदर्शी संविदागत शर्तों के अनुसार होना चाहिए।
- ऋण वसूली के मामले में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अनुचित रूप से परेशान करने के उपाय नहीं करने चाहिए जैसे ऋणों की वसूली हेतु उधारकर्ता को निरंतर असमय परेशान करना, मारपीट करने का भय दिखाना, आदि।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के निदेशक मंडल को इस संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए संगठन के अंदर ही एक उचित शिकायत निवारण प्रक्रिया भी निर्धारित करनी चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उधार देने वाली संस्था के कार्यकर्ताओं के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों की कम से कम अगले उच्चस्तर पर सुनवाई हो और निपटारा हो। निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंध तंत्र के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की कार्यप्रणाली के काम करने की आवधिक रूप से समीक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार नियमित अंतरालों पर ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए इन दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई उचित व्यवहार संहिता अनुमोदन के साथ इस परिपत्र की तारीख से 1 महीने के अंदर कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त उचित व्यवहार संहिता का प्रारूप तैयार करने, उक्त दिशानिर्देशों की व्याप्ति (स्कोप) बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी, परंतु वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों की निहित मूल भावना को नहीं त्यागेंगी।

प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करनेवाली बैंकों के लिए परिचालनीय दिशा-निर्देश

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारी का कारोबार प्रारंभ करने वाले बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। ये अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धांत निचे दर्शाए गए हैं :

आवेदन

प्राथमिक व्यापारी का कारोबार प्रारंभ करने के लिए पात्र बैंकों को प्राथमिक व्यापारी बनने के लिए आवेदन करने हेतु रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से संपर्क करना चाहिए। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक विभागिय रूप से प्राथमिक व्यापारी कारोबार प्रारंभ करने के लिए प्राधिकार हेतु रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को आवेदन करना होगा।

अपनी आंशिक/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था का विलय/अधिग्रहण करके प्राथमिक व्यापारी का कारोबार प्रारंभ करने के इच्छुक बैंक अथवा भारत में कार्यरत विदेशी बैंक जो प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करनेवाली अपनी समूह कंपनियों का विलय करके विभागीय रूप से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के इच्छुक हैं, वे ऐसी सहायक/समूह द्वारा दिये गये यथा प्रयोत्य वचनों की शर्तों के अधीन होंगे जबतक उस बैंक द्वारा एक नया वचनपत्र न दिया जाए।

प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किए गए बैंकों को दिये गये वचनपत्र और प्रति वर्ष (जुलाई - जून) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के आधार पर रिज़र्व बैंक के साथ एक स्थायी व्यवस्था बनानी अपेक्षित है।

मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रयोजनीयता

- दिनांक 18 जुलाई 2006 के रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में निहित परिचालनीय मार्गदर्शी सिद्धांत तथा प्राथमिक व्यापारियों को समय-समय पर जारी किये गये अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत भी बैंक-प्राथमिक व्यापारियों पर लागू होंगे।
- सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों/खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु प्राथमिक बाजार नीलामियों को समर्थन, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की हामिदारी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार-निर्माण के अर्थ में बैंक प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका तथा दायित्व और सरकारी प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाजार टर्न ओवर 18 जुलाई 2006 को प्राथमिक व्यापारियों को जारी किये गये रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों द्वारा निर्देशित होंगी।
- आशा की जाती है कि बैंक प्राथमिक व्यापारी प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) और फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज़ एसोसिएशन (फिम्डा) के सदस्य बनेंगे और उनके द्वारा बनाई गयी आचार संहिताओं का पालन करेंगे तथा प्रतिभूति बाजारों के हित में उनके द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाईयों को अंजाम देंगे।
- निवल मांग/रिज़र्व बैंक उधारों और निवल स्वाधिकृत निधियों के आधार पर दैनिक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में न्यूनतम निवेश सुनिश्चित करने की अपेक्षा बैंक-प्राथमिक व्यापारियों पर लागू नहीं होगी।
- चूंकि बैंकों को मांग मुद्रा बाजार, पुनर्वित सुविधा और रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा प्राप्त है अतः बैंक प्राथमिक व्यापारियों को ये सुविधाएं तथा स्टैंड अलोन पीडी को मिलनेवाली चलनिधि सहायता नहीं मिलेगी।
- *जब जारी व्यापार* के प्रयोजन हेतु बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारियों के समान ही माना जाएगा।
- जहां तक मांग/सूचना/सावधि मुद्रा बाजार में उधार लेने, अंतर-कंपनी जमाराशियों और एफसीएनआर (बी) ऋणों/बाह्य वाणिज्यिक उधारों तथा निधियों के अन्य स्रोतों का संबंध है बैंक प्राथमिक व्यापारी बैंकों के लिए लागू विद्यमान मार्गदर्शी सिध्दांतों से निर्देशित होंगे।
- बैंकों को चाहिए कि वे प्राथमिक व्यापारी गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए अपनी निवेश नीति में यथोचित संशोधन करें इस निवेश नीति के समग्र ढांचे में बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया प्राथमिक व्यापारी कारोबार केवल सरकारी प्रतिभूतियों में डीलिंग, हामीदारी तथा बाजार निर्माण तक ही सीमित रहेगा। कंपनी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्था बॉडों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों, ऋण पारस्परिक निधियों तथा अन्य स्थिर आयवाली प्रतिभूतियों में किया गया निवेश प्राथमिक व्यापारी कारोबार का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- *व्यापार के लिए धारित* संविभाग के संबंध में बैंकों पर लागू निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के दिशा-निर्देश सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के संविभाग और प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए निर्धारित खज़ाना बिलों पर भी लागू होंगे।
- प्राथमिक व्यापारी कारोबार के अंतर्गत सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां और खज़ाना बिलों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए गिनती में लिया जाएगा।
- बैंक के प्राथमिक व्यापारियों पर दलालों के माध्यम से कारोबार, तत्काल वायदा लेनदेनों, ब्याज-दर डेरिवेटिवस (ओटीसी और विनिमय व्यापार डेरिवेटिवस) गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, सहायक ऋण लिखतों को जारी करना, लाभांश की घोषणा, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशा-निर्देश लागू होंगे।

बहियों और खातों का रखरखाव

- बैंकों को प्राथमिक व्यापारी कारोबार से संबंधित लेन-देनों के लिए आवश्यक लेखा-परीक्षा सहित खातों के लिए अलग बहियां रखनी चाहिए।
- उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समय प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की न्यूनतम शेष राशि 100 करोड़ रूपये तक होनी चाहिए।
- बैंक के प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारी विभाग द्वारा किये गये लेन-देनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा करानी चाहिए। इस आशय का त्रैमासिक आधार पर आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि निरंतर आधार पर प्राथमिक व्यापारी बही में सरकारी प्रतिभूतियों के 100 करोड़ रूपये की न्यूनतम निर्धारित शेष राशि रखी जाती है और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है।

पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंध

पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं और जोखिम प्रबंधन के दिशा-निर्देश बैंकों को लागू वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे। बैंक की पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और जोखिम प्रबंधन संरचना के अंतर्गत शामिल करने हेतु बैंको द्वारा प्राथमिक व्यापारी के क्रियाकलापों को भी गिनती में लेना चाहिए। प्राथमिक व्यापारी के क्रियाकलाप करनेवाली बैंक को पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली तैयार करनी होगी ताकि प्राथमिक व्यापारी क्रियाकलापों से उभरने वाली जोखिमों को माप सकें और उसके लिए प्रावधान कर सकें।

पर्यवेक्षण

परोक्ष पर्यवेक्षण

प्राथमिक व्यापारी कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों को चाहिए कि वे रिज़र्व बैंक को अविलंब निर्धारित आवधिक विवरणी प्रस्तुत करें।

प्रत्यक्ष निरीक्षण

रिज़र्व बैंक को बैंकों की बहियों, अभिलेखों, दस्तावेज़ों और खातों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाली बैंकों को रिज़र्व बैंक के निरीक्षकों को ऐसे दस्तावेज़, अभिलेख आदि उपलब्ध कराने होंगे जो उन्हें चाहिए तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं देनी होंगी।

रिज़र्व बैंक को जैसा भी आवश्यक हो, समय-समय पर इन दिशा-निर्देशों को संशोधित अथवा अद्यतन बनाने का अधिकार रहेगा।

इन अनुदेशों के अलावा, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करनेवाली बैंकों को 27 फरवरी 2006 और 9 अगस्त 2006 के रिज़र्व बैंक के परिपत्रों में निहित अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम

भारत सरकार ने हाल ही में एक नया कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का 15 पाइंट कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का उचित प्रतिशत लक्ष्य रखा जाए तथा अल्प सुविधाप्राप्त को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचे जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभकारी वर्ग शामिल हो। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के समग्र लक्ष्य तथा कमज़ोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के भीतर यह सुनिश्चित किया जाये कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का समान भाग प्रदान किया जाता है। अग्रणी बैंकों को जिला ऋण योजना तैयार करते समय इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों को भी सूचित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के समग्र लक्ष्य तथा कमज़ोर वर्ग के लिए 25 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के भीतर यह सुनिश्चित किया जाये कि अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का समान भाग प्रदान किया जाता है।

शहरी सहकारी बैंक

व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ायी गयी

रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि निवास इकाई के प्रत्येक लाभार्थी को रु.25 लाख तक व्यक्तिगत आवास ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंको (यूसीबी) को अनुमति दी जाए। तथापि रु.15 लाख से अधिक का ऋण लेनेवाले उधारकर्ताओं को आवास वित्त, प्राथमिकता क्षेत्र उधार में नहीं माना जाएगा।

बैंक 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर वसूली योग्य सीधे आवास वित्त को बढ़ा सकते है बशर्ते यह विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा के भीतर हो और उसे अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो। पहले की यह शर्त कि किस्त और ब्याज की राशि उधारकर्ता की आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए को अब हटा दिया गया है।

ग्राहक सेवा

बचत खाताधरकों को पासबुक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अनिवार्य रूप से अपने सभी बचत खाताधारकों (व्यक्ति) को पासबुक सुविधा प्रदान करें। यदि बैंक लेखा विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है और ग्राहक इस सुविधा को प्राप्त करना चाहता है तो बैंकों को अनिवार्यत: मासिक लेखा विवरण जारी करना चाहिए। साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि ऐसे पासबुक अथवा विवरण की लागत की वसूली ग्राहक से नहीं की जानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक को वरिष्ठ नागरिक संघों के साथ-साथ ग्राहकों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे थे कि कई बैंकों ने बचत खाताधारकों(व्यक्ति) को एकतरफा पासबुक जारी करना बंद कर दिया है। जिससे खाताधारकों को बहुत असुविधा हो रही थी। रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह भी लाया गया था कि बैंक मासिक अंतराल के बजाय तिमाही अंतराल पर बचत खाताधारकों को लेखा विवरण जारी कर रहे हैं।

साथ ही, रिज़र्व बैंक ने यह उल्लेख किया है कि पासबुक छोटा और संक्षिप्त होने के साथ ही लेनदेनों का एक सुलभ संदर्भ है तथा छोटे ग्राहकों के लिए यह लेखा विवरण से कहीं अधिक सुविधाजनक होता है। लेखा विवरणों का उपयोग करने में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां हैं, जैसे (क) उन्हें नियमित रूप में फाइल करने की ज़रूरत होती है (ख) आरंभिक शेष का मिलान पिछले विवरण के अंतिम शेष के साथ करना ज़रूरी होता है (ग) विवरणों का डाक में खो जाना आम बात है और उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने में व्यय और असुविधा होती है (घ) दो विवरणों के बीच एटीएम स्लिप संतोषजनक हल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि लेनदेन का संपूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है और (ङ) अधिकतर छोटे ग्राहकों के पास कंप्यूटर/इंटरनेट आदि उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे छोटे ग्राहकों को पासबुक जारी न करने का अप्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि वे वित्तीय सेवा से बाहर हो जाएंगे।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2006-08 Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

सूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन के लिए विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया और 25 सितंबर 2006 से लागू किया गया। इस संशोधन से अधिनियम में किये गये परिवर्तन को निम्नलिखित पैराग्राफों में, सरल शब्दों में वर्णित किया गया है।

बैंक के बोर्डों की संरचना

- राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्रियाकलापों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिक कार्यकारी निदेशकों को रखने हेतु पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या दो से चार कर दी गयी है।
- रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक केवल रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी ना होते हुए वाणिज्य बैंको के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में आवश्यक अनुभव रखनेवाला और विशेषज्ञ व्यक्ति होगा।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से नामिती निदेशकों को हटाना।
- वर्तमान प्रावधान के अनुसार एक से छह निदेशकों के बजाए शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर बोर्ड में एक से तीन शेयरधारक निदेशकों का नामांकन करना ताकि स्वामित्व को प्रतिशत के आधार पर अधिक समान प्रतिनिधित्त्व किया जा सके।
- निर्वाचित निदेशक रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदण्डों के अनुसार योग्य और सही हैसियत वाला व्यक्ति होगा।

अतिरिक्त निदेशक

रिज़र्व बैंक को बैंक नीति के हित में/जनहित में/बैंक अथवा जमाकर्ताओं के हित में यदि आवश्यक हो तो एक या उससे अधिक निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

पूंजी

- राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से और रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद विनियम में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन अथवा सार्वजनिक जारीकरण के माध्यम से पूंजी एकत्रीत कर सकते है।
- रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक अधिमान शेयर जारी कर सकते है।
- केंद्र सरकार की धारिता, किसी भी समय पर, ईक्वीटी शेयर वाली चूकता पूंजी के 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिमान शेयरों का मताधिकार केवल उनके अधिकारों पर सीधे प्रभाव करने वाले संकल्पों पर लागू है और अधिमान शेयर धारकों पर भी केवल अधिमान शेयर पूंजी धारित करनेवाले सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों का एक प्रतिशत की सीमा तक उसके द्वारा धारित अधिमान शेयरों के संबंध में मताधिकार लागू है।

तुलन-पत्र का अनुमोदन किया जाना

शेयर धारकों को वार्षिक सामान्य बैठक में चर्चा करने, निदेशक की रिपोर्ट, वार्षिक लेखे और तुलन पत्र को अपनाने और उनका अनुमोदन करने का अधिकार प्राप्त है।

अदावी लाभांश का अंतरण

राष्ट्रीयकृत बैंकों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग के अंतर्गत स्थापित निवेश शिक्षा और सुरक्षा निधि में सात वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी लाभांश का अंतरण करना चाहिए।

बोर्ड का अधिक्रमण

- केंद्र सरकार को निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त है। यह रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर किया जा सकता है।
- अधिक्रमण केवल निम्नलिखित के लिए किया जाना चाहिए :-
  - (क) जनहित में, अथवा
  - (ख) जमाकर्ताओं अथवा बैंक हित को हानि पहुँचाने वाले बैंक कार्यों से बचने के लिए, अथवा
  - (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक के उचित प्रबंधन के लिए
- केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और उन्हें अपने कार्य में सहायता के लिए विधि, वित्त, बैंकिंग, आर्थिक अथवा लेखा विधि में अनुभवी तीन अथवा अधिक सदस्यों की समिति गठित की जाएगी।
- अधिक्रमण 6 महीने तक की अवधि के लिए होगा जिसे अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

गैर-सरकारी निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में यह उल्लेख किया गया है कि अंशकालिक निदेशक तीन वर्ष की अवधि अथवा जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है कार्यालय में बने रहेंगे बशर्ते अधिकतम अवधि छह वर्ष हो। चूंकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में कई अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक उनकी कार्यालय धारण अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कार्यालय धारी बने रहते है क्योंकि उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है। इसीलिए इन अधिनियमों में संशोधन किये जा रहे है ताकि गैर-सरकारी निदेशक उनके उत्तराधिकार नियुक्त किये जाते है या नहीं अपना कार्यालय पद छोड़ दें। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के लिए प्रावधानों के अनुरूप है। कर्मचारी और अधिकारी निदेशकों के लिए वर्तमान प्रावधान जारी रहेंगे।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**